

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4555

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट धोखाधड़ी प्रतिवेदन के मानक

4555. श्री कुंवर हरिवंश सिंह :
श्री गजानन कीर्तिकर :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी प्रतिवेदन के लिए विद्यमान मानक/दिशानिर्देश क्या हैं;
- (ख) क्या सरकार का विचार उक्त मानकों में छूट प्रदान करने/संशोधन करने का है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और नए मानकों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और
- (घ) सरकार द्वारा कारपोरेट घोटालों को रोकने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री

(श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ) : कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 में अधिदेश है कि यदि किसी कंपनी के लेखापरीक्षक को, लेखापरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान, कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा ऐसी कंपनी के विरुद्ध किए गए धोखाधड़ी के अपराध का पता लगता है तो वह इसकी सूचना तत्काल केन्द्र सरकार को देगा।

हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 में एक संशोधन दिनांक 17.12.2014 को लोक सभा द्वारा पारित कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा शामिल किया जा रहा है। इस संशोधन में यह प्रस्ताव है कि एक विहित सीमा या न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया

जाए जिससे अधिक की धोखाधड़ी की सूचना केन्द्र सरकार को देनी होगी। इस न्यूनतम सीमा से नीचे की धोखाधड़ियों की सूचना लेखापरीक्षा समिति को दी जाएगी।
